बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 374220 पटना, दिनांक:- 12/06/18

ग्रा0वि0-5/IAY-PMAY(SP)-102-17/2017

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद ।

विषय:- **अग्निपीड़ित परिवारों को पुनर्वास हेतु विशेष परियोजना प्रस्ताव के प्रेषण के संबंध में ।**

प्रसंग :- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जहानबाद का पत्रांक-559 दिनांक-17.05.2018

महाशय,

निदेशानुसार आपके उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र से प्राप्त विषयांकित विशेष परियोजना प्रस्ताव की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के फ्रेमवर्क के प्रावधानों के आलोक में विभाग स्तर पर समीक्षोपरान्त निम्न त्रुटियाँ पाई गई है :-

(1) प्रमाण पत्र की कंडिका(i) में प्रमाणित किया जाना है कि सभी अग्निपीडित परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास की आवश्यकता वाले परिवारों के रूप में निर्धारित किये गये हैं ।

(2) प्रमाण-पत्र की कंडिका(iv) में प्रमाणित किया जाना है कि लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं ।

(3) उपर्युक्त प्रमाण-पत्र सहित प्रपत्र के अन्य बिन्दुओं का प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है ।

(4) प्रस्ताव के साथ संलग्न सूची में लाभुक का PMRY ID अंकित किया गया है, जबकि लाभुकों का SECC 2011 सूची से टिन या AHL टिन सहित अंकित किया जाना है ।

(5) सूची में अंकित प्राथमिकता सूची क्रमांक-36, 42, 52, 54, 55, 64 .... आदि दर्शाया गया है । इस संबंध में यह भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अबतक आवंटित लक्ष्य के अंतर्गत आवास की स्वीकृति दी गई है अथवा नहीं । यदि नहीं दी गई है तो इसके कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

(6) अग्निपीड़ित होने की घटना की तिथि का उल्लेख के साथ सूची जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है ।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त त्रुटियों का समाधान कराकर त्रुटिरहित विशेष परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 374220 पटना, दिनांक 12/06/18

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2218.doc